संख्या-460/2020/2253/22-2-2019-17(990)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2020**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्नीलाल प्रजापति पुत्र श्री रामआसरे, निवासी जनपद-जालौन की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-26-06-2019) दिनांक-08-08-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्नीलाल प्रजापति पुत्र श्री रामआसरे, बरी का पुरवा, थाना-कुठौंद, जनपद-जालौन का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 20.01.2002 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सरकारी पराग डेरी में दूध देकर अपने भाई के साथ घर वापस लौट रहे यशपाल के साथ मारपीट व अपहरण कर कुकर्म किया। अपहृत बाद में मुल्जिमान की पकड़ से छूट कर वापस आया। दिनांक 23.02.2002 को समय रात्रि लगभग 08:00 बजे आशुलिपिक जिलाधिकारी, औरैया से मिलकर घर लौट रहे श्री देवेन्द्र दीक्षित का फिरौती वसूलने के लिए अपहरण किया, जिन्हें कुछ दिन बाद अजीतमल पुलिस ने अपहर्ताओं से छुड़ा लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-204/2006 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 377 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-02, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 13.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-224/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0अधि0), औरैया के आदेश दिनांक 18.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-129/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149 सपठित धारा-12/14 उ0प्र0दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, जालौन के आदेश दिनांक 07.05.2010 द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया एवं सत्र परीक्षण संख्या-68ए/03 में धारा-3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, कानपुर के आदेश दिनांक 01.02.2010 द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक 17 वर्ष 01 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने के कारण जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 20.01.2002 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर यशपाल के साथ मारपीट व अपहरण कर कुकर्म एवं दिनांक 23.02.2002 को श्री देवेन्द्र दीक्षित का फिरौती वसूलने के लिए अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, शातिर किस्म का अपराधी होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अधिकारी, जालौन द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुन्नीलाल प्रजापति पुत्र श्री राम आसरे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुन्नीलाल प्रजापति (बन्दी संख्या-25694) पुत्र श्री रामआसरे, निवासी जनपद-जालौन के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-460/2020/2253(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद जालौन।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-460/2020/2253/22-2-2019-17(990)/2019

दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्नीलाल प्रजापति (बन्दी संख्या-25694) पुत्र श्री रामआसरे, बरी का पुरवा, थाना-कुठौंद, जनपद-जालौन का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 20.01.2002 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सरकारी पराग डेरी में दूध देकर अपने भाई के साथ घर वापस लौट रहे यशपाल के साथ मारपीट व अपहरण कर कुकर्म किया। अपहृत बाद में मुल्जिमान की पकड़ से छूट कर वापस आया। दिनांक 23.02.2002 को समय रात्रि लगभग 08:00 बजे आशुलिपिक जिलाधिकारी, औरैया से मिलकर घर लौट रहे श्री देवेन्द्र दीक्षित का फिरौती वसूलने के लिए अपहरण किया, जिन्हें कुछ दिन बाद अजीतमल पुलिस ने अपहर्ताओं से छुड़ा लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-204/2006 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 377 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-02, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 13.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-224/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0अधि0), औरैया के आदेश दिनांक 18.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-129/2001 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149 सपठित धारा-12/14 उ0प्र0दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, जालौन के आदेश दिनांक 07.05.2010 द्वारा 05 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया एवं सत्र परीक्षण संख्या-68ए/03 में धारा-3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, कानपुर के आदेश दिनांक 01.02.2010 द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं 5000/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.05.2019 तक 17 वर्ष 01 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने के कारण जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 20.01.2002 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर यशपाल के साथ मारपीट व अपहरण कर कुकर्म एवं दिनांक 23.02.2002 को श्री देवेन्द्र दीक्षित का फिरौती वसूलने के लिए अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, शातिर किस्म का अपराधी होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अधिकारी, जालौन द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुन्नीलाल प्रजापति पुत्र श्री राम आसरे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।